पत्रांक–स0नि0–विभागीय जीर्ण–शीर्ण व निष्प्रयोज्य भवन/2021–22/ 251 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक::अगस्त, 03 2021

1. **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
   वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. **अपर निदेशक(प्रशिक्षण),**
   वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   लखनऊ।

विषयः–वाणिज्य कर विभाग के जीर्ण–शीर्ण व निष्प्रयोज्य भवनों की जिलेवार सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–मु0स0–1/11–4–2021 दिनांक 30.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संलग्न मुख्य सचिव, कार्यालय के पत्र संख्या–492/पी.एस.एम.एस. दिनांक 23.07.2021 द्वारा विभिन्न विभागों में कई शासकीय भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है व निष्प्रयोज्य हो चुके है। ऐसे भवन सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही साथ में जनसामान्य में शासन की छवि भी धूमिल करते है। ऐसे भवनों का अतिशीघ्र नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में ऐसे समस्त भवनों की जिलेवार सूची तैयार कर वांछित सूचना 2 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः शासन का पत्र दिनांक 30.07.2021 की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वाणिज्य कर विभाग के ऐसे समस्त भवनों की जिलेवार सूची तैयार कर दिनांक 04.08.2021 तक विभागीय ई–मेल आई0डी0–ctconshqlu-up@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांकःउक्त।

प्रतिलिपिः– ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महत्वपूर्ण

संख्या-मु०स०-1/11-4-2021

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई,2021

विषय- वाणिज्य कर विभाग के जीर्ण-शीर्ण व निष्प्रयोज्य भवनों की जिलेवार सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, कार्यालय के पत्र संख्या-492/पी.एस.एम.एस. दिनांक 23.07.2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक पत्र में की गयी अपेक्षानुसार वांछित सूचना 2 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

29.07.21

(ओम प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

ज्वाइंट कमिश्नर
2.8.21

932

एडी० कार्य (प्रधान)
02-8-2021

236

26
03-08-2021

मु०स०-1/11-4-2021

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल,लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ

दूरभाष संख्या: 0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283

email- csup@nic.in

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 592/ पी.एस.एम.एस. / 2021

दिनांक : 23 जुलाई, 2021

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

1495/ACS/ST/21

विभिन्न विभागों में कई शासकीय भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं व निष्प्रयोज्य हो चुके हैं। ऐसे भवन सुरक्षा के लिए खतरा तो हैं ही साथ में जनसामान्य में शासन की छबि भी धूमिल करते हैं। ऐसे भवनों का अतिशीघ्र नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने की आवश्यकता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 05 अगस्त, 2021 तक ऐसे समस्त भवनों की जिलेवार सूची तैयार कर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। उक्त भवनों के चिन्हीकरण के उपरान्त उनके नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अगले एक माह में कराने का कष्ट करें।

26.07.2021

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव,

राज्य कर विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

23.07.2021

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

26-07-21

(सर्वज्ञ राम मिश्र)

विशेष सचिव

राज्य कर विभाग

उ० प्र० शासन।

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SO-4

26.07.21

23.07.2021

(ओम प्रकाश तिवारी)

अनुसचिव

राज्य कर विभाग

उत्तर प्रदेश शासन